कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
आदेश

कमांक स्पै0/2025/03 निर्माण (2)

दिनांक पंचकूला 17.12.2025

विषयः **राज्य के राजकीय विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण एवं उचित रख–रखाव बारे।**

....

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए जाते है कि वे अपने जिले मे स्थित राजकीय विद्यालयों मे शौचालयो के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे:–

1 सभी विद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं हेतु अलग–अलग शौचालय होने चाहिए जो कि पूर्णतः चालू स्थिति में हों।

2 प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक इन शौचालयो में हर समय साफ–सफाई तथा पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करेंगे।

3 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक अधिकारी हर माह अपने अधिकारक्षेत्र में स्थित कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों, विशेषकर शौचालयों का तथा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी हर माह अपने अधिकारक्षेत्र में स्थित कम से कम 10 प्रतिशत विद्यालयों, विशेषकर शौचालयों का औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगें। सम्बन्धित के अधिकारक्षेत्र में स्थित किसी विद्यालय व शौचालय में सफाई न पाई जाने की स्थिति मे उनके विरुद्व अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

4 प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक शौचालयों के निरीक्षण उपरांत निरीक्षण रजिस्टर में इसका इन्द्राज करेंगे।

उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाये।

17/12/2025

जितेन्द्र कुमार, आई0ए0एस0
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।